

न्यायालय अपर समाहर्ता, कोडरमा।

विविध अनुमति वाद संख्या-45/2023

प्रसंग:- सुरेश दास - बनाम - गीता देवी।

आदेश

19-6-25

उपायुक्त, कोडरमा के आदेशानुसार प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, कोडरमा के पत्रांक-878/विधि दिनांक-28/07/2023 द्वारा भूमि बिक्री करने की अनुमति से संबंधित प्रस्तुत वाद प्राप्त हुआ है। आवेदक श्री सुरेश दास, पिता-स्व0 रूपलाल दास, साकिन-करमा, पोस्ट-करमा, थाना-तिलैया, जिला-कोडरमा ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-46(i)(b) के तहत मौजा-करमा, थाना नं0-272, खाता नं0-71, प्लॉट नं0-3163, रकवा-04 डी0 भूमि बिक्री हेतु अनुमति का माँग किया गया है।

तत् आलोक में अंचल अधिकारी, कोडरमा से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। साथ ही उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर सुना गया।

विक्रेता एवं क्रेता द्वारा अपना-अपना साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत कागजात के अनुसार विक्रेता (आवेदक) श्री सुरेश दास, पिता-स्व0 रूपलाल दास, साकिन-करमा, पोस्ट-करमा, थाना-तिलैया, जिला-कोडरमा एवं क्रेता श्रीमती गीता देवी, पति-जीतन दास, साकिन-करमा, पोस्ट-करमा, थाना-तिलैया, जिला-कोडरमा के निवासी है। विक्रेता तथा क्रेता जाति के चमार है दोनों एक ही वर्ग अनुसूचित जाति अन्तर्गत आते है। विक्रेता पुत्री की शादी हेतु भूमि बिक्री करना चाहते है। विक्रेता एवं क्रेता भूमि खरीद-बिक्री हेतु सहमत है।

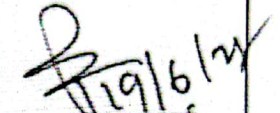
अंचल अधिकारी, कोडरमा का पत्रांक-2319 दिनांक-09.12.2023 द्वारा प्रस्तावित भूमि का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-करमा, थाना नं0-272, खाता नं0-71, प्लॉट नं0-3163, रकवा-04 डी0, भूमि रैयती भूमि है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदक भूमिहिन के श्रेणी में नहीं आते है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही वर्ग (अनुसूचित जाति) के अन्तर्गत आते है तथा दोनों एक ही थाना/प्रखण्ड के निवासी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी, कोडरमा के प्रतिवेदन के आधार पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 (i)(b) के तहत प्रश्नगत मौजा-करमा, थाना नं0-272, खाता नं0-71, प्लॉट नं0-3163, रकवा-04 डी0,

भूमि श्रीमती गीता देवी, पति-जीतन दास, साकिन-करमा, पोस्ट-करमा, थाना-
तिलैया, जिला-कोडरमा के नाम से बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। यह आदेश
बिभागीय पत्रांक-6144/रा0 दिनांक-21.12.2017 से आच्छादित रहेगा। वाद की
कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति जिला अवर निबंधक, कोडरमा एवं
अंचल अधिकारी, कोडरमा को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।


अपर समाहर्ता,
कोडरमा।


अपर समाहर्ता,
कोडरमा।